



सं.सं.राबैं. पुनर्वित्त Ref. No. NB.DoR / 411 / पीपीएस PPS - 9/ 2020-2021

15 September 2020

परिपत्र सं Cir. No. 244 / पुनर्वित्त DoR - 76 / 2020

मुख्य कार्यपालक अधिकारी The CEO / प्रबंध निदेशक MD/ अध्यक्ष Chairman

अनुसूचित वाणिज्य बैंक Scheduled Commercial Banks, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक Regional Rural Banks, लघु वित्त बैंक Small Finance Banks, राज्य सहकारी बैंक State Cooperative Banks

महोदया/ प्रिय महोदय / Madam/Dear Sir,

**नाबार्ड वाटरशेड और वाडी परियोजना क्षेत्रों में विशेष पुनर्वित्त योजना**

**Special Refinance Scheme in NABARD Watershed and Wadi Project Areas – Ultimate Lending Rate**

उपर्युक्त विषय पर 20 July 2020 का कृपया हमारा परिपत्र संख्या 199/ DoR-69 देखें। बैंकों से प्राप्त अनुरोध के अनुसार परिपत्र के अनुबंध में पैरा 7 में आंशिक संशोधन इस प्रकार से किया गया है " इस विशेष पुनर्वित्त योजना पर ब्याज़ की दर 3% प्रति वर्ष होगी और अंतिम लाभार्थी को बैंक/ वित्तीय संस्थान, नाबार्ड की ब्याज़ दर से 06 मास MCLR+1% या EBLR+2.5% से अधिक दर नहीं लगाएंगे।

चूंकि नाबार्ड 3% प्रति वर्ष की ब्याज़ दर से पुनर्वित्त सहायता प्रदान कर रहा है हम आपसे पुनः अनुरोध करते हैं कि इस रियायति पुनर्वित्त सहायता का लाभ उठाएँ और नाबार्ड द्वारा विकसित वाटरशेड और वाडी परियोजना क्षेत्रों में अधिक से अधिक निवेश ऋण प्रदान करें।

Please refer to our Circular 199/ DoR-69 dated 20 July 2020 on the captioned subject. On the basis of requests received from various banks, Para 7 of the Annexure to the Circular is partially modified to read as "the interest rate on this Special Refinance Scheme will be at 3% per annum and the ultimate lending rate to be charged by banks/FIs should not be more than 06 months MCLR+1% or EBLR+2.5% whichever is lower".

Since NABARD is extending refinance at an interest rate of @3% per annum, we once again request you to take advantage of concessional refinance and deepen investment credit in watershed and wadi project areas developed by NABARD.

भवदीय

एल. आर. रामचंद्रन

(एल आर रामचंद्रन)

मुख्य महाप्रबंधक

राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक

National Bank for Agriculture and Rural Development

पुनर्वित्त विभाग

प्लॉट नं. सी-24, 'जी' ब्लॉक, बांद्रा - कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बांद्रा (पूर्व), मुंबई - 400 051 • टेल. : 022 2652 4926 • फैक्स : 022 2653 0090 • ई-मेल : dor@nabard.org

Department Of Refinance

Plot No. C-24, 'G' Block, Bandra-Kurla Complex, Bandra (E), Mumbai - 400 051 • Tel. : 022 2652 4926 • Fax : 022 2653 0090 • E-mail : dor@nabard.org